प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./जे.एस.वाई./8–8/2015–16/ 565-75 दिनांक 8 05.2015

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" की प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शासनादेश सं0–जी0आई0 136/5–9–07–9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0–3668/5–9.7–9(113)/2005 दिनांक 19.01.2008, शासनादेश सं0–3667/5–9– 08–9 (113)/05 दिनांक 05.03.2008, शासनादेश संख्या–657/पॉच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013, शासनादेश संख्या–3009/पाँच–9–2013–9 (113) 05 दिनांक 17 दिसम्बर 2013 एवं शासनादेश पत्रांक 373/पाँच–9–2014–9 (113) 05 दिनांक 04 मार्च 2014 के अधीन "जननी सुरक्षा योजना" संचालित की जा रही है।

"जननी सुरक्षा योजना' राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु लागू की गयी योजना है। इसके अन्तर्गत सभी महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों यथा–उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम सन्दर्भ इकाई (एफ.आर.यू.) /जिला एवं राज्य स्तरीय समस्त चिकित्सालय/सरकारी एवं केन्द्रीय मेडिकल कालेज एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों यथा–रेलवे चिकित्सालय, पुलिस चिकित्सालय, सेना के चिकित्सालय, ई0एस0आई0 चिकित्सालय आदि के जनरल वार्ड में प्रसव कराने पर प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य है।

वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता व अनाचार को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये सी0ए0जी0 की संस्तुतियों एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067–2 दिनांक 04.02.2015 के द्वारा सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक और/अथवा बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान एम0सी0टी0एस0 डेटाबेस/एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज कर लिये जाने का प्राविधान किया गया है।

गर्भावस्था के 09 माह की अवधि में ए0एन0एम0 व आशाओं के पास पर्याप्त समय होता है कि वे जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान प्राप्त करने हेतु तत्काल पंजीयन कराने और बैंक खाता खुलवाने की बाध्यता के विषय में विस्तार से गर्भवती महिलाओं के परिवार को परामर्श दे सकें तथा आधार क्रमांक और/अथवा बैंक खाता खुलवाने में यथा सम्भव सहयोग करें।

वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से बिजनेस कॉरॉस्पोन्डेण्ट (बी0सी0) योजना का आरम्भ किया गया है एवं सभी जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में इस नेटवर्क में कार्यरत कर्मचारियों के नाम व फोन नम्बर भी वित्त अनुभाग द्वारा जनपदों को प्रेषित कर दिये गये हैं। यदि आवश्यक हो तो आप सभी ए0एन0एम0 व आशाओं के फोन नम्बर अपने जनपद की स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा को पुनः उपलब्ध कराने के निर्देश दे दें। इसी के साथ उनके क्षेत्र के बी0सी0 के फोन नम्बर ए0एन0एम0 व आशाओं को भी उपलब्ध कराये जाने के भी स्पष्ट निर्देश दे दें जिससे वे अपने क्षेत्र के बी0सी0 से सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते खुलवाने हेतु सम्पर्क कर लें।

चिकित्सालय से छुट्टी के समय जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की जानकारी पत्र के साथ संलग्न (संलग्नक–1) प्रमाण पत्र "**जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र**" के माध्यम से दे दी जाये जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये।

अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद की सभी प्रसव इकाईयों तक जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु अद्यतन दिशा–निर्देश पहुँचाने के निर्देश दे दें। प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 /एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067–2 दिनांक 04.02.2015 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्णकर अपने जनपद में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी भुगतान शीघ्रातिशीघ्र पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से आरम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

07/5/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./जे.एस.वाई./8–8/2015–16/565-75-9 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

07/5/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

संलग्नक–1

जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....
पत्नी श्री.....
पूरा पता/निवासी .....
.....
.....
मोबाइल नं0.....
ने दिनांक ..... को इस चिकित्सालय में प्रसव कराया, जिसका भर्ती रजिस्टर क्रमांक .....है।

लाभार्थी द्वारा दिये गये खाता संख्या–.....
में दिनांक .....को जननी सुरक्षा योजना का लाभ रू0–.....ऑन लाइन पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया गया है जो कि 24–48 घण्टे में उक्त खाते में पहुँच जायेंगे।

किसी भी समस्या
के लिये
सम्पर्क नं0
.....

हस्ताक्षर चि0 इकाई प्रभारी

नाम, पदनाम व मोहर